उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्याः 35/2020/201/35-1-2020-843/2019 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 05 जून, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक : 24 मार्च, 2020 में निर्देश निर्गत किये गये हैं। राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के पत्र संख्या-43/उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2020, दिनांक : 19.05.2020 पर प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-04-उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत किये गये प्राविधान रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2020/बी-।-218/दस-2020-231/2020, दिनांक : 18 मई, 2020 के निर्देशों के अनुपालन में 25 प्रतिशत की कमी करते हुए रू0 75.00 लाख (रूपये पचहत्तर लाख) एवं अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-04-उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत किये गये प्राविधान रू0 54.00 लाख (रूपये चौवन लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को शासनादेश सं0-15/2016/485/35-1-2016-2/1(86)/2014, दिनांक 13 जून, 2016 में अंकित शर्तों/प्राविधानों/प्रतिबन्धों के अनुपालन में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकस बोर्ड/राज्य जैव ऊर्जा नीति-2014 के कार्यक्रमों/परियोजनाओं/ योजनाओं के संचालन हेतु बोर्ड के मुख्यालय स्तर पर खोले गये राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते में रखा जायेगा तथा उसमें से आवश्यकतानुसार धनराशि को उक्त योजनाओं/ परियोजनाओं/कार्यक्रमों/बोर्ड के संचालन हेतु राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक तथा वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित किया जायेगा।

(2) उक्त रूप से स्वीकृत धनराशि को बोर्ड की कार्यकारी समिति के अनुमोदनोपरांत नियमानुसार व्यय/उपयोग किया जायेगा।

(3) इस सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/शासनादेशों/वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बोर्ड की नियमावली का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(7) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान सं0-40 के अन्तर्गत "लेखा शीर्षक-2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-04-उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" एवं लेखाशीर्षक-2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-04-उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड -31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये निर्देशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

संख्या:35/2020/201(1)/35-1-2020 - तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. केन्द्रीय सहायता (वित्त) अनुभाग।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दूबे)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in